

बिहार में गिरते पुल व बढ़ते अपराध पर गरमाई सियासत ॥ राजद ने नीतीश कुमार को घेरा बीजेपी ने राजद को घसीटा

4पीएम न्यूज नेटवर्क

पटना। पटना में आए दिन गिर रहे पुल व बढ़ते अपराध पर राजद ने बिहार की नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। उधर इस मामले को लेकर सियासत भी गरमाई है। भाजपा ने भी राजद को घेरा है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि बिहार सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। अन्य सभी पुल के साथ इस पुल की भी जांच करवाई जाएगी।

आखिर तत्कालीन सांसद ने कितना पैसा खाया था? जांच के बाद सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। किशनगंज में एक और पुल धंसने के बाद बिहार में सियासत शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब सीधे राष्ट्रीय जनता दल पर हमला बोल रहे हैं। उनका आरोप है कि यह पुल राजद के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री के फंड से बना था। अब बिहार सरकार इस मामले की जांच करवाएगी कि राजद के तत्कालीन सांसद ने उस

सीएम व डिप्टी सीएम की चुप्पी बता रही अपराध रोकने में अक्षम : तेजस्वी

तेजस्वी यादव के साथ ही पार्टी के अन्य नेता प्रवक्ता भी बढ़ते अपराध को लेकर सरकार की कार्यशैली और विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मंगलवार को तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर सवाल उठाए और कहा कि बिहार में अनियतित जनलेगा अपराध पर मुख्यमंत्री और उनके दो-नों डिप्टी सहायकों की चुप्पी उनकी अपराध रोकने की असमर्थता, अक्षमता एवं अशक्तता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। नेता प्रतिष्ठा ने अपने एक्स मीडिया पर मंगलवार को दो अलग-अलग पोस्ट डाली, जिसमें शोहास के फिल्मों में गीतापुर गांव की नीतू कुशगांव की हत्या और दूसरे में बतौरी घटनाओं पर उंगाई उतारी है। उन्होंने अपनी पोस्ट के जरिए लोगों से अनुरोध किया है कि बिहारवासी अपने जन-गाल की रक्षा स्वरूप करें। शोहास की घटना का हालांकां तेजस्वी ने लिखा कि दिल दबाने वाली निर्माण घटनाएँ शोहास के दिली में नीतू गांव की हत्या का अपराध का हृत्या कर दी गई है। कुछ दिन पहले ही नीतू नगर में नी दूसरी बेटी श्रेवा की हत्या की गयी थी। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अपराधी बेखोफ हैं। महिलाओं और बेटियों पर सत्ता संरक्षित अत्याचार की कोई सीमा नहीं बचती। सरकार की रक्षण को रखने कोई संघरण नहीं बचता। बिहार ने विधि व्यवस्था क्षमता हो चुकी है।

बिहार ने विधि व्यवस्था क्षमता हो चुकी है।

किशनगंज में जो पुल धंसा दिवंगत तसलीमुद्दीन के फंड से बना था : नीतीश कुमार

भाजपा प्रवक्ता नीतीश कुमार ने कहा कि किशनगंज में जो पुल धंसा है, उसे राजद के तत्कालीन सांसद दिवंगत तसलीमुद्दीन के फंड से बना था। इस पुल का निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया इसलिए आज ऐसी दिखती उत्पन्न हो गई है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि बिहार सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। अन्य सभी पुल के साथ इस पुल की भी जांच करवाई जाएगी। आखिर तत्कालीन सांसद ने कितना पैसा खाया था। जांच के बाद सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। 2007-2008 में इस पुल का निर्माण हुआ था। जांच में जो दोषी पाए जाएंगे वह बख्ती नहीं जाएंगे।



किया है कि बिहारवासी अपने जन-गाल की रक्षा स्वरूप करें। शोहास की घटना का हालांकां तेजस्वी ने लिखा कि दिल दबाने वाली निर्माण घटनाएँ शोहास के दिली में नीतू गांव की हत्या का अपराध का हृत्या कर दी गई है। कुछ दिन पहले ही नीतू नगर में नी दूसरी बेटी श्रेवा की हत्या की गयी थी। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अपराधी बेखोफ हैं। महिलाओं और बेटियों पर सत्ता संरक्षित अत्याचार की कोई सीमा नहीं बचती। सरकार की रक्षण को रखने कोई संघरण नहीं बचता। बिहार ने विधि व्यवस्था क्षमता हो चुकी है।

नए कानूनों का दुरुपयोग होगा : उमर अब्दुल्ला

» बोले - एनडीए के घटक दल करें पुनर्विचार

4पीएम न्यूज नेटवर्क

जम्मू-कश्मीर। नेशनल कॉन्फरेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों के दुरुपयोग की संभावनाएं ज्यादा हैं। उन्होंने उम्मीद थी कि इंडिया की सरकार बनने पर इन पर फिर से विचार किया जाना था। लेकिन भाजपा की भी सरकार नहीं बन पाई है। इस समय में देश में एनडीए की सरकार है। ऐसे में एनडीए के घटक दलों को इन कानूनों पर एक बार फिर विचार करना चाहिए।

उमर ने कहा, वैसे तो कोई भी कानून अपने आप खराब नहीं होता है। उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता खराबी उसमें है। आज से लागू किए गए तीन कानूनों के गलत इस्तेमाल की गुंजाइश ज्यादा है। वैसे भी इस सरकार को जब भी मौका मिलता है तो वो कानून का दुरुपयोग करती है। उन्होंने कहा कि नेकां हमेशा से इन कानूनों को लेकर



आशंकित रहती है। हमने शुरू से ही इन कानूनों को लेकर अपनी आशंकाएं व्यक्त की हैं। ये मानव निर्मित कानून हैं और इन्हें बदला जा सकता है। इनकी समीक्षा की जानी चाहिए।

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंजीनियर रशीद को एनआईए की तरफ से शपथ लेने के लिए सहमति मिल गई है। लेकिन वह अभी रिहा नहीं हो रहे हैं। ऐसे में वह शपथ तो ले लेंगे लेकिन बारामुला के लोगों को उनका प्रतिनिधि नहीं मिल पाएगा। रशीद

जेलों में बंद अन्य कर्मीरियों को मीटिंग किया जाय : महबूबा मुप्ती

पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुप्ती ने सोमवार को कहा कि उन्हें यह जानकार राहत मिली है कि बायामुला से लोकसभा चुनाव जीतने वाले शेख अब्दुल रसीद (इंजीनियर रसीद) को संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने की अनुमति एनआईए से मिल गई है। उन्होंने माग करते हुए कहा कि जेलों में बंद अन्य कर्मीरी लोगों को भी इसी किया जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें यह दुखाई है कि इंजीनियर रसीद 2019 से निराधार आरोपी ने सलाखों के पीछे है। यह जानकार राहत मिली कि उन्हें संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन उनका कारबाह अपने आप में व्यापार का घोर मजाक है। भारत सरकार को उन्हें और जेलों में बंद अनिवार्य अन्य कर्मीरी लोगों को तुरंत दिल करना चाहिए।



जनता के बीच जाकर काम नहीं कर पाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा, एनआईए ने शपथ ग्रहण की अनुमति दे दी है और अब वह स्पीकर के कक्ष में शपथ लेंगे। अफसोस की बात यह है कि बायामुला लोकसभा निर्वाचन

निर्वाचित सांसदों को मीडिया से बातचीत करने से रोकना चिंताजनक : अल्टाफ बुखारी

अपनी पार्टी के प्रमुख अल्टाफ बुखारी ने कहा कि बायामुला लोकसभा सीट से निर्वाचित सांसद इंजीनियर रसीद के शपथ ग्रहण के लिए एनआईए द्वारा अनुमति दिए जाने से संतुष्टि घटनाक्रम का सावधान है। यह लंबे समय से अपेक्षित था, जो अंततः पूरा हुआ, जिससे उसी कर्मीरी में लालों की संख्या में मतदाताओं को बढ़ायी और संतुष्टि मिली। हालांकि, निर्वाचित सांसदों को मीडिया से बातचीत करने से रोकना चिंताजनक है और लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है।



मेरे खिलाफ नाडा साजिश कर रही : बजरंग पुनिया

» वह नहीं चाहते कि मैं कृश्ती खेलना जारी रखूँ

4पीएम न्यूज नेटवर्क

सोनीपत (हरियाणा)। डोपिंग टेस्ट मामले में पहलवान बजरंग पूनिया ने उन्हें दूसरी बार निलंबित करने वाली एंटी डोपिंग एजेंसी (नाडा) पर फिर से सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि वह नहीं चाहते कि मैं कृश्ती खेलना जारी रखूँ। मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है।

बजरंग पूनिया ने एंटी डोपिंग एजेंसी पर ही नियमों को तोड़ने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि उनके सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे। डोपिंग मामले में नाडा ने पहलवान बजरंग पूनिया को 5 मई को निलंबित करते



हुए नोटिस भेजकर 11 जुलाई तक जवाब मांगा था। जब पिछली बार नाडा ने बजरंग को निलंबित किया था, तो उनका निलंबन तीन हफ्ते बाद एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल ने रद्द कर दिया था। उन्हें नोटिस जारी नहीं किया गया था। अब नाडा ने निलंबन के साथ-साथ बजरंग पूनिया को नोटिस भी जारी किया है। 10 मार्च को ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए हुए एशियन क्लालीफायर के ट्रायल के दौरान नाडा ने बजरंग से नमूने देने के लिए कहा था। लेकिन, बजरंग ने इन्कार कर दिया था।

R3M EVENTS
ACTIVATION • EVENTS • EXHIBITION

R3M EVENTS
4/725 Vaibhav Khand, Gomti Nagar, Lucknow
E-mail: rajendra@3mevents.com, Mob : 095406 11100

आमजन के हित में नए कानूनों पर

‘विचार हो गंभीर’ → तीन नए आपराधिक कानूनों के तहत देश में तीन जगहों पर एफआईआर कांग्रेस बोली सांसदों के निलंबन के बाद बिल किया था पास

- » विपक्ष ने एनडीए सरकार पर उठाए सवाल
 - » सरकार ने कहा- कमी हो तो सुझाव दे विपक्ष
 - » नये कानूनों से आमजन को मिलेगा लाभ!
 - » नए बीएनएस कानून के तहत अब चोरी के अपराध से जुड़ी आईपीसी की धारा 420 को बीएनएस में 318 बना दिया गया
- 4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। 1 जुलाई को पूरे देश में तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू कर दिया गया है। इन नए कानूनों के आधार पर कुछ राज्यों में केस भी दर्ज होने लगे हैं। इन सबके बीच इस पर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। सत्ता पक्ष ने जहां इसको सही ठहराया है। वहीं विपक्ष ने इस कानून को गलत तरीके संसद में पास करवाने को लेकर इसका विरोध किया है। जानकारों की माने तो कानून भारत के हिसाब से बढ़िया है परं यहीं जब यह संसद में पास हुआ था तब वह पर विपक्ष के कई सांसद निलंबित किए गए थे इस पर कानून के सबके द्वारा सहमति से पास होने पर बहस का मुद्दा है। यहीं यह दंड संहिता का कानून है और आम जन से जुड़ा होता है इसलिए जरुरी है कि इसे पूरे सदन का अनुमोदन मिलाना चाहिए। इस आधार पर कह सकते हैं सरकार चाहे तो एकबार फिर से इस पर संसद में चर्चा करवा सकती है।

उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बीच सरकार की आलोचना की और कहा कि यह मौजूदा कानूनों को “ध्वस्त” करने तथा उनके लिए विदेशी संसद के तहत गत तरीके से संसद में पास किए गए हैं। इन कानूनों पर कोई विरोध नहीं है। सपा संसद ने कहा कि अगर कोई विदेशी में भी अपने अधिकारों को लेकर विरोध करता है तो उन पर भी ये कानून लागू होंगे। कहीं न तो उनके लिए उनका स्वागत नहीं होगा।

नये कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी जिसमें ‘जीरो एफआईआर’, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे कि ‘एसएमएस’ (मोबाइल फोन पर संदेश) के जरिये समन भेजने और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य चैटिंगोंप्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे। नये कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा और पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय ने परिवर्तन का विरोध करने की स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति को रेखांकित करते हुए इस बात



संसदीय प्रणाली पर नहीं चलने देंगे बुलडोजर न्याय : खटरगे

मलिकार्जुन खरोगे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चुनाव में राजनीतिक और नैतिक झटके के बाद, मोदी जी और भाजपा



संविधान का सम्मान करने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आज से लागू होने वाले आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन कानून 146 सांसदों को निलंबित करके जबरन पारित किए गए थे। उन्होंने कहा कि भारत अब इस बुलडोजर जरिस्टस को संसदीय प्रणाली पर चलने नहीं देगा। खरोगे संसद के शीतकालीन सत्र का जिक्र कर रहे थे, जिसमें दोनों सदनों में लगभग दो-तिहाई विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। संसद सुरक्षा उल्लंघन के खिलाफ विपक्ष के विरोध के बीच बड़े पैमाने पर निलंबन हुआ।

दिल्ली में रेहड़ी पटरी वाले के खिलाफ एफआईआर

तीन नए क्रियान्वयनों के लागू होती ही इसके तहत नवायादेश और दिल्ली में पहली एफआईआर की दर्ज हो गई है। पहली एफआईआर न्याय सहित कानून लार्केट में दर्ज हुई। भारतीय न्याय सहित के तहत ये कारबाई रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ हुई है। नई दिल्ली रेहड़े स्टेशन के पुटोवर बिज के नीचे अवरोध पैदा करने को लेकर ये कानून लार्केट में दर्ज हुआ।

यहाँ पर जोर दिया है कि नये आपराधिक कानूनों का स्वागत किया जाना चाहिए और उन्हें बदली हुई मानसिकता के साथ लागू किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय ने कहा, परिवर्तन का विरोध करना या अपनी आराम

बिना पर्याप्त चर्चा और बहस के बनाया कानून : घिटंबरम

कांग्रेस नेता पी. घिटंबरम ने कहा कि यह मौजूदा कानूनों को ध्वस्त करने तथा उन्हें बिना पर्याप्त चर्चा और बहस के तीन नए विधेयकों से बदलने का एक और मामला है। पूर्ण गृह मंत्री ने कहा कि दीर्घविधि में, तीनों कानूनों को संविधान और आपराधिक न्यायालय के आधुनिक सिद्धांतों के अनुरूप बनाने के लिए इनको और बदलाव किए जाने चाहिए। जो काम मौजूदा तीन कानूनों में कुछ संशोधनों के साथ पूरा किया जा सकता था, उसे एक बेकार की कवायद



में कुछ सुधार हैं और हमने उनका स्वागत नहीं किया है। उन्होंने कहा, हाँ, एन कानूनों में कुछ सुधार हैं और हमने उनका स्वागत नहीं किया है।

इन कानूनों से विदेशों में भी भारतीय लोगों के अधिकारों का हनन होगा: डिंपल

समाजवादी पार्टी संसद डिप्ल यादव ने आरोप लगाया कि यह कानून बहुत गलत तरीके से संसद में पास किए गए हैं। इन कानूनों पर कोई विरोध नहीं है। सपा संसद ने कहा कि अगर कोई विदेशी में भी अपने अधिकारों को लेकर विरोध करता है तो उन पर भी ये कानून लागू होंगे। कहीं न तो उनके लिए उनका स्वागत नहीं होगा।



कहीं यह कानून पूरे देशवासी का स्वागत नहीं होगा।

उन्हें संशोधन के रूप में पेश किया जा सकता था। दूसरी ओर, कई प्रतिगामी प्रावधान हैं कुछ बदलाव प्रावधान दृष्टान्त असंवेदनीक हैं। घिटंबरम ने कहा कि स्थायी समिति के सदस्य सांसदों ने प्रावधानों पर गहन अध्ययन किया तथा तीनों विधेयकों पर विश्वास असहमति नोट लिखे। घिटंबरम ने कहा कि सरकार ने असहमति नोट में की गई किसी भी आलोचना का न तो खंडन किया गया और हमने उनका स्वागत नहीं किया है।

लोगों की नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए खतरा : ओवैसी ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लॉफर्म पर लिखा, तीन नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन में बड़ी समस्याओं के बाबजूद सरकार ने इन्हें दूर करने के लिए कुछ नहीं किया है। ये वे मुद्दे थे जिन्हें मैंने इनके लागू होने का विरोध करने के लिए उत्तरा था। यार बार के लोकसभा सदस्य ने अपने संबोधन में कहा कि उनके अनुसार, इन कानूनों के प्रावधान ‘लोगों की नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए खतरा’ है। उन्होंने कहा, ये पुलिस को किसी के भी खिलाफ कार्रवाई करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करते हैं।



देश को ‘पुलिस स्टेट’ में बदलने की नींव : मनीष तिवारी

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने संसद से नए आपराधिक कानूनों की पुनः समीक्षा करने की मांग की और दावा किया है कि ये कानून देश को “पुलिस स्टेट” में बदलने की नींव रखते हैं। पुलिस स्टेट वह होता है जहां राजनीतिक, अधिकारिक, और सामाजिक जीवन पर जोर दिया जाता है। इन नींवों कानून ने प्रौद्योगिकी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 परूदे देश में प्रभावी रूप से गंभीर हो गए हैं। इन नींवों कानून ने बिटेश कालीन कानूनों भारतीय डंड सहित (आईपीसी), दंड प्रक्रिया सहित (सीआईपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। आज से सभी नयी प्राधिकारियों बीएनएस के तहत दर्ज की जा रही हैं।



तो आपको बता दें कि इनमें कुछ मौजूदा सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों से निपटने का प्रयास किया गया।

तलबी से बाहर आने को नापसंद करना हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यह अज्ञात का भय है जो इस प्रतिरोध का कारण बनता है और हमारे तर्क को प्रभावित करता है। वहीं दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय स्थानों में दूरगामी बदलाव आएंगे। नये कानूनों की खासियतों की बात करें

के पीआईएल मैन के रूप में विख्यात अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि ये कानून एक साल में न्याय मिलना सुनिश्चित करेंगे और इससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में दूरगामी बदलाव आएंगे। नये कानूनों की खासियतों की बात करें

